कार्यालय -2678078
-2672404

फैक्स : 0135-2672337
ई-मेल : upsvnn@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय 11-मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक 390/अधि० अनु० अधि० सामान्य/ 94 दिनांक 26.5.2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, पेयजल एवं स्वच्छता, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र सं0 675/उन्तीस(1)/2018-(35अधि0)/2007, दिनांक 24.05.2018 द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिपिकीय सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2018 उत्तराखण्ड पेयजल निगम में प्रख्यापित किये जाने हेतु निर्देशित किया है।

अतः एतद् द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिपिकीय सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2018 उत्तराखण्ड पेयजल निगम में तुरन्त से लागू की जाती है।

(भजन सिंह) 26/05
प्रबन्ध निदेशक

पृ0सं0 एवं दिनाँक तदैवः

प्रतिलिपि अपर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र सं0 675/उन्तीस(1)/2018-(35अधि0)/2007, दिनांक 24.05.2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबन्ध निदेशक

पृ0सं0 एवं दिनाँक तदैवः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
2. वैयक्तिक अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता (मु0), प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता (गढ0)/(कु0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी/हल्द्वानी।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
8. गार्ड फाइल।

25-5-18
महाप्रबन्धक (मु0/सर्व0)
28/5/18
25/05/18

संख्याः–675/उन्तीस (1)/2018–(35 अधि0) 2007 टी.सी.2018

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–1 देहरादून दिनांकः 24 मई, 2018

विषयः–उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010, (संशोधन) विनियमावली, 2018 के प्रख्यापन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या 185/अधिष्ठान अनुभाग–अधि0सामान्य/46, दिनांक 15.03.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिपिकीय सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2018 की अनुमोदित प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विनियमावली के प्रख्यापन की कार्यवाही करते हुए प्रख्यापित विनियमावली की एक प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
प्रधान कार्यालयः 11–मोहनी रोड, देहरादून
संख्याः 390 /औ०. सा०का०प/94/ 2018
देहरादूनः दिनांकः 26-5– .2018

अधिसूचना

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 97 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकार की पूर्वानुमति से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010 में अग्रेत्तर संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते है, अर्थातः–

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिपिकीय सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस विनियमावली का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड पेयजल संसाधान विकास एवं निर्माण निगम लिपिकीय सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रभावी होगी।

(3) उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010 में निम्नवत् उल्लिखित सीमा तक स्तम्भ–1 में विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

		स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1	(झ) "मुख्य अभियन्ता" से मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पौडी/ नैनीताल एवं मुख्य महाप्रबन्धक (निर्माण) देहरादून उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभिप्रेत है;	(झ) "मुख्य अभियन्ता" से मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पौडी/ हल्द्वानी (नैनीताल मण्डल) एवं मुख्य महाप्रबन्धक (निर्माण) देहरादून उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभिप्रेत है;
		(थ) "शाखा/इकाई" से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय अभिप्रेत है;	(थ) "शाखा/इकाई" से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के अधिशासी अभियन्ता/ परियोजना प्रबन्धक के कार्यालय अभिप्रेत है;
		भाग 3– भर्ती	
भर्ती का स्रोत	5.	(एक) लिपिक वर्ग में:– सेवा में कनिष्ठ सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर के पदों भर्ती निम्न श्रोतों से की जायेगी।	5. (एक) लिपिक वर्ग में:– सेवा में कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती निम्न श्रोतों से की जायेगी।
		(ध) चयन वर्ष 2014–15 से	(ध) चयन वर्ष 2017--18 से

2016–17 तक के लिए अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक वर्गीय निम्नतम श्रेणी के कुल पदो के 25 प्रतिशत तक की रिक्तियों को उस कार्यालय के नियमित फील्ड अधिष्ठान के ऐसे कर्मचारियों में से जो हाईस्कूल/ इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हो, पदोन्नति द्वारा नीचे टिप्पणी में अंकित निर्धारित चयन प्रक्रिया से भरा जा सकेगा:–

टिप्पणी:– लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती जिस कार्यालय में होनी हो उस कार्यालय में कार्यरत श्रेणी 'घ' वाहन चालक एवं नियमित फील्ड अधिष्ठान के अन्तर्गत जो 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों,पात्रता क्षेत्र में आएंगे। समूह 'घ' वाहन चालक एवं नियमित फील्ड अधिष्ठान से पदोन्नति हेतु, लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए, आरक्षित रिक्तियों पर चयन, श्रेष्ठता के आधार पर एक साधारण परीक्षा लेकर किया जाएगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें सामान्य हिन्दी सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा अधिकतम 40 अंकों की होगी तथा पात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होंगे। चतुर्थ श्रेणी, वाहन चालक एवं नियमित फील्ड अधिष्ठान के पद पर कार्य अनुभव हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए 02 अंक दिए जायेंगे तथा कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 50 अंक निर्धारित किए जायेंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।

जहां टंकक संवर्ग में 2019–20 तक के लिए अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक वर्गीय निम्नतम श्रेणी के कुल पदो के 45 प्रतिशत तक की रिक्तियों को उस कार्यालय के नियमित फील्ड अधिष्ठान के ऐसे कर्मचारियों में से जो हाईस्कूल/ इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हो, पदोन्नति द्वारा निम्न अंकित निर्धारित चयन प्रक्रिया से भरा जा सकेगा:–

नियमित फील्ड अधिष्ठान के अन्तर्गत जिन कार्मिकों ने 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो वरिष्ठता के आधार पर पात्रता क्षेत्र में आयेंगे तथा आरक्षित रिक्तियों पर चयन, श्रेष्ठता के आधार पर एक साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र होगा। जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अधयन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा अधिकतम 70 अंकों की होगी तथा पात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होंगे। कार्यअनुभव हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक दिये जायेंगे, तथा इस हेतु अधिकतम 20 अंक निर्धारित किये जायेंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त 50 अंकों की हिन्दी में टंकण परीक्षा भी ली जायेगी। टंकण परीक्षा में 4000 (की–डिप्रेशन) प्रति घण्टा की गति से कम टंकण करने वाले अभ्यर्थी पदोन्नति हेतु अर्ह नहीं होंगे। इस प्रकार इस संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु चयन परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदंड) नियमावली, 2004 के उपबन्ध

		भर्ती की जानी हो, वहां उपरोक्त के अतिरिक्त 50 अंकों की हिन्दी में टंकक परीक्षा भी ली जायगी। टंकण परीक्षा में 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति से कम टंकक करने वाले अभ्यर्थी पदोन्नति हेतु अर्ह नहीं होंगे। इस प्रकार टंकक संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु चयन परीक्षा कुल 150 अंको की होगी; परन्तु यह कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 के उपबन्ध इस विनियमावली के अधीन की जाने वाली पदोन्नति पर लागू नहीं होंगे। (दो) आशुलिपिक वर्गः– (क) सेवा में आशुलिपिक (ग्रेड़–2) के पदों पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी। (ख) आशुलिपिक सेवा के अन्य पदों (आशुलिपिक ग्रेड–I, वैयक्तिक सहायक ग्रेड–II, वैयक्तिक सहायक ग्रेड़–I) पर पदोन्नति, परिशिष्ट (दो) के स्तम्भ–5 में विनिर्दिष्ट श्रोतों से की जायेगी।		इस विनियमावली के अधीन की जाने वाली पदोन्नति पर लागू नहीं होंगे। लिपिकीय संवर्ग अन्य पदों (वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी) पर भर्ती परिशिष्ट (एक) के स्तम्भ – 5 में विनिर्दिष्ट– श्रोतों से की जायेगी; (दो) वैयक्तिक सहायक वर्गः– (क) सेवा में वैयक्तिक सहायक के पदों पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी; (ख) वैयक्तिक सहायक सेवा के अन्य पदों (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, वैयक्तिक अधिकारी, मुख्य वैयक्तिक अधिकारी) पर पदोन्नति, परिशिष्ट (दो) के स्तम्भ–5 में विनिर्दिष्ट श्रोतों से की जायेगी;
शैक्षिक अर्हताएं	9. (1)	<u>कनिष्ट सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर</u> (क) सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है, (ख) अभ्यर्थी को हिन्दी (देवनागरी लिपि) तथा अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर पर टंकण की न्यूनतम गति 4000 Key Depressions प्रति घण्टा होना आवश्यक है। (ग) अभ्यर्थी को कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान तथा उस पर कार्य करने की क्षमता ।	9. (1)	<u>कनिष्ठ सहायक</u> (क) सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा (10+2) अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है; (ख) अभ्यर्थी को हिन्दी (देवनागरी लिपि) तथा अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर पर टंकण की न्यूनतम गति 4000 Key Depressions प्रति घण्टा होना आवश्यक है। (ग) अभ्यर्थी को कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान तथा उस पर कार्य करने की क्षमता आवश्यक है;

	(2)	आशुलिपिक (ग्रेड–2) आशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभयर्थी की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने के साथ–साथ हिन्दी आशुलिपि में 80 शष्द प्रति मिनट की गति और कम्प्यूटर पर हिन्दी (देवनगरी लिपि) टंकण में 4000 Key Depressions प्रतिघण्टा होना आवश्यक है।	(2)	वैयक्तिक सहायक (क) वैयक्तिक सहायक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट अथवा (10+2) अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ–साथ हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति और कम्प्यूटर पर हिन्दी (देवनागरी लिपि) टंकण में न्यूनतम गति 4000 Key Depressions प्रतिघण्टा होना आवश्यक है; (ख) अभ्यर्थी को कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान तथा उस पर कार्य करने की क्षमता आवश्यक है;
अधिमानी अर्हता	10.	(1) *आशुलिपिक* के पद पर भर्ती हेतु अंग्रेजी आशुलिपि एवं कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान हो.	10.	(1) वैयक्तिक सहायक के पद पर भर्ती हेतु अंग्रेजी आशुलिपि एवं कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान हो.

भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया

सीधी भर्ती की प्रक्रिया	17 (1)	कनिष्ठ सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/आशुलिपिक (ग्रेड–2)/स्टोर कीपर/कैमिस्ट के पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होगें:– (एक) मुख्य अभियन्ता/नियुक्ति प्राधिकारी – अध्यक्ष (दो) अधीक्षण अभियन्ता – सदस्य (तीन)अधिशासी अभियन्ता – सदस्य (चार) समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का एक अधिकारी – सदस्य	17 (1)	कनिष्ठ सहायक/वैयक्तिक सहायक/स्टोर कीपर/कैमिस्ट के पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होगें:– (एक) मुख्य अभियन्ता/नियुक्ति प्राधिकारी – अध्यक्ष (दो) अधीक्षण अभियन्ता – सदस्य (तीन)अधिशासी अभियन्ता – सदस्य (चार) समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का एक अधिकारी – सदस्य

(परिशिष्ट–एक)

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लिपिकीय सेवा विनियमावली (संशोधित), 2018

(देखिये नियम 4,5 एवं 22(2)

"लिपिकीय सेवा (Ministerial Cadre)"

विद्यमान विनियम				एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम			भर्ती का श्रोत
क्र. सं.	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	
01	02	03	04	05	06	07	08
01	कनिष्ठ सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर	223	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 1900	कनिष्ठ सहायक	166	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2000	राज्य सरकार में लागू व्यवस्था के अनुसार 70 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा एवं 15 प्रतिशत समूह–'घ' के हाईस्कूल उत्तीर्ण कर्मचारियों तथा 10 प्रतिशत समूह 'घ' के इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कार्मिकों, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 5 प्रतिशत रिक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस कार्यालय के वाहन चालकों, जो हाईस्कूल की परीक्षा अथवा उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण हो में से पदोन्नति द्वारा।
02	प्रवर सहायक सह वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर	160	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2400	वरिष्ठ सहायक	146	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2800	कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिकों में से जिन्होने कनिष्ठ सहायक के पद पर इस रूप में 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
03	मुख्य सहायक एवं कन्सोल आपरेटर	80	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2800	प्रधान सहायक	94	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 4200	कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिकों में से जिन्होंने वरिष्ठ सहायक के पद पर इस रूप में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ सवंर्ग के पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

04	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–II	43	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200	प्रशासनिक अधिकारी	42	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन– 4600	कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिकों में से जिन्होंने प्रधान सहायक के पद पर इस रूप में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ सवंर्ग के पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
05	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–I	13	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	41	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन– 4800	कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिकों में से जिन्होंने प्रशासनिक अधिकारी के पद पर इस रूप में 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ सवंर्ग के पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
06	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	31	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन– 5400	कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिकों में से जिन्होने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर इस रूप में 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ सवंर्ग के पदों पर कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(परिशिष्ट–दो)

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लिपिकीय सेवा विनियमावली (संशोधित), 2018

(देखिये नियम 4,5 एवं 22(2))

"लिपिकीय सेवा (Ministerial Cadre)"

विद्यमान विनियम				एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम			भर्ती का श्रोत
क्र. सं.	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	
01	02	03	04	05	06	07	08
01	आशुलिपिक ग्रेड–2	34	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2400	वैयक्तिक सहायक	30	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2800	(1) सीधी भर्ती द्वारा
02	आशुलिपिक ग्रेड–1	20	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	24	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200	वैयक्तिक सहायक के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कार्मिकों में से, जिन्होंने इस रूप में न्यूनतम 08 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
03	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	10	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200	वैयक्तिक अधिकारी	10	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4600	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पदों पर पदोन्नत ऐसे कार्मिको में से, जिन्होंने इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ संवर्ग के पदों पर कुल 15 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
04	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	04	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200	मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	04	वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 5400	वैयक्तिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नत ऐसे कार्मिकों में से, जिन्होंने इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ संवर्ग के पदों पर कुल 25 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(परिशिष्ट–तीन)

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लिपिकीय सेवा विनियमावली (संशोधित), 2018
(देखिये नियम 4,5 एवं 22(2))
"लिपिकीय सेवा (Ministerial Cadre)"

विद्यमान विनियम				एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम			भर्ती का श्रोत
क्र. सं.	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	
	01	02	03	04	05	06	07
01	स्टोर कीपर	02	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 1900	स्टोर कीपर	02	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2800	सीधी भर्ती
02	स्टोर उप अधीक्षक	02	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 2400	स्टोर उप अधीक्षक	02	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्टोर कीपर में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
03	स्टोर अधीक्षक	01	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200	स्टोर अधीक्षक	01	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4600	स्टोर उपाधीक्षक के पदों पर पदोन्नत ऐसे कार्मिकों में से, जिन्होंने इस रूप में न्यूनतम 07 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ संवर्ग के पदों पर कुल 14 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
04	कैमिस्ट	02	वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 2400	कैमिस्ट	02	वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 5400	सीधी भर्ती

26/06

(इं0 भजन सिंह)
प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड पे... निगम